

प्रेषक,

1- सुनील कुमार,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

2- पार्थ सारथी सेन शर्मा,  
सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवामें,

1. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक  
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा अनुभाग-7

लखनऊ : दिनांक 30 जून, 2012

विषय : कक्षा-8 उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं के कक्षा-9 में प्रवेश का प्रगति विवरण उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

आप भली-भाँति अवगत हैं कि प्रदेश सरकार बच्चों की शिक्षा के प्रति संवेदनशील एवं प्रतिबद्ध है। इस दिशा में सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम सभी जनपदों में क्रियान्वित किये जा रहे हैं।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 6 से 14 आयु वर्ग के समस्त बच्चों के लिए कक्षा 1 से 8 तक की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गयी है। इसके साथ ही राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कक्षा 9 से 12 की शिक्षा पर विशेष बल दिया जा रहा है। आप सहमत होंगे कि छात्र-छात्राओं के लिए कक्षा-8 का स्तर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कक्षा-8 में शिक्षा ग्रहण करने वाले अधिकांश बच्चे बेसिक शिक्षा के उच्च प्राथमिक विद्यालयों, जूनियर हाईस्कूलों एवं कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों के होते हैं, जहाँ पर यह टर्मिनल स्टेज होती है। इसके उपरान्त छात्र-छात्राओं को कक्षा-9 में प्रवेश माध्यमिक विद्यालयों में लेना होता है, जो प्रायः अन्यत्र स्थित होते हैं। छात्र-छात्राओं के कक्षा-8 से कक्षा-9 में ट्रांजीशन के सम्बन्ध में प्रगति एवं विवरण बेसिक शिक्षा विभाग अथवा माध्यमिक शिक्षा विभाग किसी में भी उपलब्ध नहीं होता है। फलस्वरूप जो छात्र-छात्राएँ कक्षा-8 उत्तीर्ण करने के बाद किन्हीं कारणों से कक्षा-9 में प्रवेश नहीं ले पाते हैं, उनके सम्बन्ध में विवरण न शिक्षा विभाग में उपलब्ध होता है और न ही उनके प्रवेश हेतु कोई प्रयास किया जाता है। चूँकि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कक्षा-10 तक की शिक्षा सभी बच्चों को

देना महत्वपूर्ण उद्देश्य है, अतः कक्षा-8 उत्तीर्ण समस्त छात्र-छात्राओं, कक्षा-9 में प्रवेश लिये गये छात्र-छात्राओं तथा छोटे हुए कक्षा-8 के उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं का विवरण प्रति वर्ष तैयार करना अपरिहार्य हो गया है और इस हेतु तत्काल व्यवस्था किया जाना वांछित है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में आपको निम्नवत् निर्देश दिये जाते हैं :-

1. स्कूल चलो अभियान (1-31 जुलाई) की अवधि में प्रत्येक परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा प्रत्येक मान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक कक्षा-8 उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं की सूची तैयार करें और उसमें किस छात्र-छात्रा द्वारा कक्षा-9 में प्रवेश लिया गया है, उसका विवरण अंकित करें। कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों के सम्बन्ध में बालिकाओं का उक्त विवरण तैयार करने का दायित्व वार्डन का होगा। उक्त समस्त विद्यालयों के सम्बन्ध में छात्र-छात्राओं की सूची प्रधानाध्यापक/वार्डन द्वारा खण्ड शिक्षा अधिकारी को दिनांक 20.07.2012 तक उपलब्ध करायी जाये और खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा उक्त के आधार पर संकलित सूची 31.07.2012 तक तैयार कर ली जाये। विद्यालयवार छात्र-छात्राओं की सूची का प्रारूप संलग्न है। (प्रपत्र-1)
2. खण्ड शिक्षा अधिकारी छात्र-छात्राओं की सम्पूर्ण सूची ब्लॉक स्तर पर सुरक्षित रखेंगे तथा संख्यात्मक विवरण निर्धारित प्रपत्र पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को 07.08.12 तक उपलब्ध करायेंगे। (प्रपत्र-2)
3. माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा-8 से कक्षा-9 में प्रवेश लेने वाले बच्चों का विवरण तैयार करने का दायित्व विद्यालय के प्रधानाचार्य का होगा। यह सूची प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय (राजकीय, सहायता प्राप्त एवं गैर सहायता प्राप्त) के प्रधानाचार्य द्वारा दिनांक 15.7.2012 तक तैयार की जायेगी और दिनांक 20.7.2012 तक अपने जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक को उपलब्ध करायी जायेगी। माध्यमिक विद्यालयों से उक्त विवरण प्राप्त करने का दायित्व जिला विद्यालय निरीक्षक का होगा और उनके द्वारा तदनुसार व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
4. बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों से सम्बन्धित पूरे जनपद का संकलित विवरण बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 10.8.12 तक जिला विद्यालय निरीक्षक को उपलब्ध कराया जायेगा।
5. जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों तथा माध्यमिक विद्यालयों का संकलित दिनांक 14.8.12 तक प्रत्येक दशा में शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिविर कार्यालय, लखनऊ को उपलब्ध कराया जायेगा।
6. शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) द्वारा सभी जनपदों का विवरण संकलित किया जायेगा और मण्डलवार/जनपदवार तालिका तैयार कराकर दिनांक 20.8.12 तक शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समयावधि में पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,  
20.6.12  
(सुनील कुमार)

प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा।

भवदीय,  
20.6.12

(पार्थ सारथी सेन शर्मा)  
सचिव, माध्यमिक शिक्षा।

प्र०संख्या- 1229 (1)/15-7-2012, तददिनाक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि अपने स्तर से आवश्यक निर्देश जारी करें तथा जनपदों से नियमित अनुश्रवण करते हुए समयान्तर्गत कार्यवाही पूर्ण करायें :-

1. शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उ०प्र०, लखनऊ।
2. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ०प्र०, लखनऊ।
3. राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उ०प्र०, लखनऊ।
4. अपर राज्य परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, उ०प्र०, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा-निदेशक, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,  
25/06/12  
(पार्थ सारथी सैन शर्मा)  
सचिव।

विद्यालयवार कक्षा-8 उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं का कक्षा-9 में प्रवेश सम्बन्धी सूचना

विद्यालय कानाम .....

विकास खण्ड .....

जनपद .....

क्र०सं०	छात्र-छात्रा का नाम	पिता का नाम व पता	यदि कक्षा-9 में प्रवेश लिया है तो उस विद्यालय का नाम	यदि कक्षा-9 में प्रवेश नहीं लिया है तो प्रवेश न लेने का कारण	छात्र-छात्रा के निवास से निकटस्थ माध्यमिक विद्यालय का नाम व दूरी
1	2	3	4	5	6

प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य  
के हस्ताक्षर एवंमुहर

नोट :- उक्त सूची प्रत्येक परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, मान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल, राजकीय, सहायता प्राप्त व शैर सहायता प्राप्त हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट कालेज से प्राप्त की जाये।

